क्रम–संख्या–74(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 05 मार्च, 2010

फाल्गुन 14, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 200/79-वि-1–10-1(क)1-2009

लखनऊ, 05 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 03 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2005 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, अधिनियम, 2005, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :—

"(1) संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—

(क) मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश—पदेन ;

(ख) एक विख्यात 'कुलाध्यक्ष' जिसे आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से शासी निकाय के संकल्प द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन—पदेन

(घ) संस्थान का निदेशक—पदेन ;

(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ—पदेन

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन—पदेन

(छ) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन—पदेन

(ज) 02 व्यक्ति, जो सामाजिक विज्ञान, वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा या शोध के कार्य में रत हैं या उसका विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ,

(झ) स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, जो उस सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ;

(ञ) भारतीय चिकित्सा परिषद का एक प्रतिनिधि, जो ऐसी परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ;

(ट) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद का एक प्रतिनिधि, जो ऐसी परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ;

(ठ) जीवन विज्ञान की शाखा से दो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। "

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द 'नाम-निर्देशन या निर्वाचन' के स्थान पर शब्द 'नाम-निदेशन' रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी;

(ग) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नांकित उपधारा रख दी जायेगी :—

"(6) कोई पदावरोही सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, तब तक के लिए पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय।"

धारा 10 का सशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 10 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :—

"(1) मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश संस्थान के सभापति होंगे और वह शासी निकाय के अध्यक्ष भी होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन संस्थान के उप सभापति तथा शासी निकाय के उपाध्यक्ष होंगे।"

धारा 12 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 12 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"(1) निदेशक शासी निकाय का सदस्य और संस्थान का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा।"

धारा 17 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी :–

"(1) शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :–

(क) अध्यक्ष ;

(ख) उपाध्यक्ष ;

(ग) विख्यात कुलाध्यक्ष

(घ) निदेशक ;

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग–पदेन ;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश–पदेन ;

(छ) महाविद्यालयों के प्राचार्य ;

(ज) यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम में नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति, जो संस्थान में विभागाध्यक्ष हों ;

(झ) यथाविहित रीति से चयनित किये जाने वाले संस्थान के अध्यापकों में से दो व्यक्ति ;

(ञ) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति।"

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2005) जिला इटावा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की भाँति उक्त संस्थान के प्रशासन के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबंधों को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय :–

(क) मंत्री चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश को संस्थान का पदेन सदस्य और सभापति और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के स्थान पर शासी निकाय का अध्यक्ष भी बनाया जाना;

(ख) राज्य विधान मण्डल और संसद के सदस्य की सदस्यता को समाप्त करना;

(ग) शासी निकाय के उप सभापति के स्थान पर निदेशक को सदस्य बनाया जाना।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, (संशोधन) विधेयक, 2009 एतद्द्वारा पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,

No. 200(2)/LXXIX-V-1–10-1(ka)1-2009
Dated Lucknow, March 05, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gramin Ayurvigyan Evam Anusandhan Sansthan, Safai (Sansodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on 03. 2010 :-

THE UTTAR PRADESH RURAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH, SAIFAI (AMENDMENT) ACT, 2009

(U.P. Act no. 13 of 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai, Act, 2005

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai (Amendment), Act, 2009.

Amendment of section 4 of U. P. Act no. 27 of 2005

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai 2005, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* namely :-

"(1) The Institute shall consist of the following members, namely :-

(*a*) the Minister, Medical Education, Uttar Pradesh, *ex-officio*;

(*b*) one "Visitor" of eminence to be nominated by a resolution of the Governing Body from amongst persons having special knowledge in the field of medical science;

(*c*) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Medical Education Department, *ex-officio*;

(*d*) the Director of the Institute, *ex-offiico*;

(*e*) the Director General of Medical Education and Training Uttar Pradesh, *ex-officio*;

(*f*) the Principal Secretary/Secretary in charge to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department, *ex-officio*;

(*g*) the Principal Secretary/Secretary in charge to the Government of Uttar Pradesh in the Planning Department, *ex-officio*;

(*h*) two persons having special knowledge or practical experience in or engaged in the pursuit of social science, scientific or technical education or research, to be nominated by the State Government;

(i) one representative of the Ministry of Health of Government of India to be nominated by that Government;

(j) one representative of the Medical Council of India to be nominated by such Council;

(*k*) one representative of the Dental Council of India to be nominated by such Council ;

(*l*) two scientists of eminence from the discipline of life sciences to be nominated by the State Government;"

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act :

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "nominated or elected" the "nominated" shall be *substituted*;

(*b*) sub-section (3) shall be *omitted*;

(*c*) *for* sub-section (6) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(6) An outgoing member shall, unless the State Government directs, otherwise continue in office, until another person is nominated as a member in his place."

Amendment of section 10

4. In section 10 of the principal Act *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(1) The Minister, Medical Education, Uttar Pradesh shall be the President of the Institute and shall also be the Chairman of the Government Body. The Secretary/Principal Secretary Government of Uttar Pradesh in Medical Education Department, shall be the Vice-President and shall also be the Vice-Chairman of the Governing Body."

Amendment of section 12

5. In section 12 of the principal Act *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(1) The Director shall be the member of the Governing Body and also the Chief Executive and Academic Officer of the Institute."

Amendment of section 17

6. In section 17 of the principal Act :-

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(1) The Governing Body shall consist of the following persons, namely:-

(*a*) the President;

(*b*) the Vice President;

(*c*) the Visitor of eminence;

(*d*) the Director;

(*e*) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department, *ex-officio*;

(*f*) the Director General of Medical Education and Training Uttar Pradesh, *ex-offico*;

(*g*) the Principal of the Colleges;

(*h*) two persons being Head of Department in the Institute to be nominated by rotation in such manner as may be prescribed;

(*i*) two persons from amongst the teachers of the Institute to be selected in such manner as may be prescribed;

(*j*) two persons to be nominated by the President."

(*b*) sub-section (3) shall be *omitted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai Act, 2005 (U.P. Act no. 27 of 2005) has been enacted to provide for the establishment of the Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai in district Etawah. With a view to making the provisions of the said Act more effective in relation to the administration of the said Institute like that of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for :-

(a) making the Minister, Medical Education, Uttar Pradesh as the *ex-officio* member and President of the Institute, and also the Chairman of the Governing Body instead of the Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh;

(b) abolishing the membership of the Member of the State Legislature and of the Parliament;

(c) making the Director as the member of the Governing body instead of the Vice Chairman thereof.

The Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai (Amendment) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
P. V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0- ए0पी0 1178 राजपत्र -10-(2501) 97 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0 एस0यू0पी0-ए0पी0 239 सा0 विधा0-2010-(2502)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफ़सेट)।